न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लालाराम पुत्र ईरा जाति कलबी साकिन कालेटी तहसील बागोडा जिला जालोर।		1. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर। 2. एस.बी.बी.जे शाखा प्रबन्धक भीनमाल जिला जालोर।

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्त करने राजस्व रेकार्ड अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
तहसीलदार बागोडा अप्रार्थी सं. 1

मुकदमा संख्या :– 22/2019 दिनांक : 04.02.2020

–: निर्णय :–

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी व सहखातेदारान की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा कालेटी में पुराने खसरा नम्बर 332, 458, 133, 307, 405, 414, 177, 252, 309 जुमले रकबा 96 बिघा 4 विश्वा की आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयान गलधराराम हेमाराम व गोपाराम के पुर्वाधिकारी पिता ईरा पुत्र कुम्बा कौम चौधरी सा.देह खातेदार के नाम जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 तक दर्ज थी। स्व. ईरा पुत्र कुम्बा का देहान्त होने पर उक्त आराजी स्व.ईरा के उत्तराधिकारी वारीसान पुत्रगण गलधराराम, लालाराम हेमाराम व गोपाराम पिसरान ईरा के नाम से नामान्तरकरण स. 254 दिनांक 8.1.1985 को सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जोधपुर केम्प कालेटी द्वारा स्वीकृत किया गया। रिसेटलमेंन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 307, 308, 324, 470, 520, 522, 536, 657 सृजित किये गये। जिसका इन्द्राज द्वितीय मिसल बन्दोवस्त सन् 1.7. 1989 से 30.6.2009 तक में करते वक्त खातेदार गलधराराम, वालाराम,हेमाराम,व गोपाराम पिसरान ईरा कौम कलबी दर्ज किया गया, जो मात्र मानवीय भूल से लापरवाही पुर्वक गलत रूप से पेन मिस्टेक से खाते में दर्ज किया गया, जबकि प्रार्थी के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र मे भी प्रार्थी का नाम लालाराम

उप खण्ड अधिकारी
बागोडा

Scanned by CamScanner

वल्द ईरा लिखा गया है पहचान पत्र की प्रति संलग्न पेश है एवं प्रार्थी के परिवार का राशन कार्ड आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र ईश राम के नाम से ही जारी हुआ है जो सही है। राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयो द्वारा आगामी जमाबन्दी में खातेदारान के नाम की प्रविष्टीयो का इन्द्राज करते वक्त लापरवाही पूर्वक लालाराम वल्द ईरा की बजाय वालाराम वल्द ईरा दर्ज किया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम लालाराम ही है जो सही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का नाम उक्त आराजी नये खसरा नम्बरान 307,308,309,324,470,520, 522,536,657 में नाम दुरूस्त किये जाने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया, इस पर तहसीलदार बागोडा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड से साबित करे तथा यदि प्रार्थी का नाम वालाराम की जगह लालाराम दर्ज किया जाता है तो हम जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति नही है क्योंकि यह राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय भूलवश से प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज किया है तो वह मानवीय भूल को दुरूस्त किया जाता है तो हम जबाब देहन्दा को कोई आपत्ति नही है। जो शामिल मिशल किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान की बहस सूनी व बहस पर मनन किया गया।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं सरहद मौजा कालेटी पटवार हल्का कालेटी तहसील बागोडा मे नये खसरा नम्बरान 307 ,308, 309, 324, 470, 520 ,522, 536 ,657 मे वालाराम वल्द ईरा की बजाय लालाराम वल्द ईरा दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है, शेष बदस्तुर रहेगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बागोडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनॉक 14/2/20 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उप खण्ड अधिकारी
बागोडा

उप खण्ड अधिकारी
बागोडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mridula Shekhawat
Date: 2020.03.06 11:55:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: